

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/1483

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 03.04.25

अप्रार्थीगण

1 कालूराम 2  
गोसाईराम पिसरान  
हरखाराम 3 तीजों पत्नि  
हरखाराम जाति जाट  
निवासी हाथीतला  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 गेनाराम पुत्र सुरताराम 2 चौथाराम पुत्र मांगाराम 3  
जैसाराम पुत्र पीराराम 4 जोगाराम पुत्र मांगाराम 5  
ठाकराराम पुत्र सुरताराम 6 धाई देवी पत्नि मांगाराम 7  
रतनाराम पुत्र सुरताराम 8 शंकर लाल पुत्र मांगाराम 9  
हरजीराम पुत्र सुरताराम 10 देवाराम पुत्र हनुमानराम  
11 करनाराम पुत्र दमाराम 12 कालुराम 13 खीयाराम  
पिसरान देदाराम 14 खेमाराम 15 बांकाराम पिसरान  
मानाराम 16 टीकुराम 17 तुलछाराम पिसरान शेराराम  
18 उमी देवी पत्नि पदमाराम 19 पीराराम 20 शोभाराम  
पिसरान पदमाराम जाति जाट निवासी हाथीतला  
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-501/2024

दिनांक- 01/04/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हाथीतला पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर  
के खसरा संख्या 202/92 रकबा 3.5936 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते  
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त  
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए  
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व  
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र  
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1484-1487

दिनांक- 03.04.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हाथीतला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय  
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण कालूराम पुत्र हरखाराम वगैराह जाति जाट निवासी हाथीतला तहसील व जिला  
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गेनाराम पुत्र सुरताराम वगैराह जाति जाट निवासी हाथीतला तहसील व जिला  
बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर